



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1142]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2010/ज्येष्ठ 20, 1932

No. 1142]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2010/JYAISTHA 20, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2010

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1359(अ).—(क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11क के अन्तर्गत, क्षेत्रीय विकास योजना, जोन के-II (द्वारका) को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) यथा संशोधित नक्शे की प्रति का निरीक्षण निदेशक (योजना) द्वारका का कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दि.वि.प्रा. कार्यालय परिसर, मंगलापुरी, पालम गांव, नई दिल्ली और दि.वि.प्रा. कार्यालय, विकास मीनार, भू-तल, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य-दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

[फा. सं. एफ 4(5)98/एमपी/पार्ट-VII]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

NOTICE

New Delhi, the 10th June, 2010

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1359(E).—(a) The Central Government under the Section 11A of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan, Zone K-II (Dwarka).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the Office of Director (Planning) Dwarka, Delhi Development Authority, DDA Office Complex, Mangla Puri, Palam Village, New Delhi and DDA Office, Vikas Minar at Ground Floor, I.P. Estate, New Delhi between the hours of 11.00 A.M. to 3.00 P.M. on all working days.

[F. No. F4 (5) 98/MP/Pt. VII]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-Cum-Secy.